SCERT UK

# राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड

**State Council of Educational Research and Training Uttarakhand,**
Nanoorkhera, Dehradun
Phone: : 0135–2789655, फैक्सः 0135–2789656
e-mail: scertuk@gmail.com, scertuk.te@gmail.com

पत्रांक : SCERT / शि.शि. सेवापूर्व / 301 - 303 / दो–I (34) / 2024–25 दिनांक 19 अप्रैल, 2025

**द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ (D.El.Ed.) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022–23 हेतु चयनित अभ्यर्थियों (औपबंधिक) की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात् प्राप्त विसगंतियों के आधार पर अभ्यर्थन निरस्तीकरण संबंधी सूचना**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा द्विवर्षीय डी.एड.एड. प्रशिक्षण 2022–23 प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों (औपबंधिक) की राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 07, 08 एवं 09 अप्रैल, 2025 को सम्पादित की गई। उक्त काउंसलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा चयनित आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है के अनुरूप साक्ष्य एवं प्रमाणपत्र उलब्ध नहीं कराए गए हैं। उक्त के दृष्टिगत ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा चयनित आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत साक्ष्य एवं प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, के संबंध में द्विवर्षीय डी॰एड॰एड॰ प्रशिक्षण 2022–23 प्रवेश परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं सबंधित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करने की संस्तुति प्रदान की गई है। उक्त अभ्यर्थी जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, से संबंधित सूचना विभागीय वेबसाइट– उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in तथा एस.सी.ई.आर.टी॰ उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.scertuk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

19.4.25
(पदमेन्द्र सकलानी)
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ.सं॰ : SCERT / शि.शि॰ सेवापूर्व / 301 - 303 / दो–I (34) / 2024–25 दिनांक– उक्तांकित्।

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सम्पादक, अमर उजाला / दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10 X 7 सेमी॰ के साइज में अपने लोकप्रिय दैनिक सामाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे जिसका प्रचार–प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून